

प्रेषक,

डा० बाल मुकुन्द,
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
प्रयागराज

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
प्रयागराज (इम्पेहाबाद)।

पत्रांक सं० ३४, दिनांक- 19.06.2024 पी०जे०एफ०सी०, प्रयागराज

विषय: अचल सम्पत्ति कय करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति दिलाए जाने के सम्बन्ध में :-


महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2025 को है। पुण्यभूमि प्रयागराज में आवासित होने के लिए मैं आवास बनाने हेतु जमीन कय करना चाहता हूँ। भूखण्ड सं० 309 रकबा 0.1290 हेक्टेअर स्थित ग्राम मलाक चतुरी(मिर्जापुर चौहारी), तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज के संकमणीय भूमिधर श्रीपाल पुत्र रामधन एवं चन्द्रपाल पुत्र रामधन हैं। उक्त भूखण्ड का कुछ अंश उनके द्वारा पूर्व में विक्रय किया जा चुका है। उक्त भूखण्ड में से रकबा तीन बिस्वा अंकन 1100000/-रूपये प्रति बिस्वा की दर से कय किया जाना है। जिसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक स्थित मेरे बचत खाते से किया जाना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 तथा माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं० 25/एडमिन. (ए) दिनांकित 13 जुलाई 1998 के अनुसार शपथपत्र पृथक से संलग्न किया जा रहा है।

अतः श्रीमानजी से विनम्र अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय से उक्त भूखण्ड कय करने की अनुमति दिलाने की कृपा करें। प्रार्थी आजीवन आभारी रहेगा।

दिनांक : 19.06.2024

भवदीय

 19.06.24

(डा० बाल मुकुन्द)

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
प्रयागराज